न्यायालय मे श्री मान् राजस्व मडल ग्वालियर म. प्र.

274

निगरानी / उमरिया / भू. रा / 2018 / 0785

मद्दू कुम्हार पिता चुटदनिया कुम्हार सा. दुलहरा, तहसील मानपुर
जिला उमरिया, म. प्र. ।

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. लहुरिया बेवा नंदीलाल कुम्हार ।
2. बुचुबा कुम्हार पिता चुटदनिया कुम्हार ।।

सभी निवासी ग्राम दुलहरा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, म. प्र. ।

.... उत्तरदातागण

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर उमरिया द्वारा आदेश दिनांक 22. 12. 17 जरिए प्रकरण क्र. 2/स्वमेव निगरानी (0957) 16-17 जिसमे कि शासन के भूमि का बंदरबाट कर तहसीलदार मानपुर के आदेश को यथावत कर दिया गया है।

अंतर्गत धारा 50 (1) एम. पी. एल. आर. सी.

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:-

यह कि मौजा दुलहरा के खसरा नं. 110 रकबा 18.964 हे. जो कि जगल किस्म की है व चराई हेतु सुरक्षित है जिसे अनावेदको के नाम मे कानूनी मंशा के खिलाफ विधि विपरीत तरीके से उक्त आराजी का व्यवस्थापन कर दिया गया है जिसे निरस्त कराए जाने हेतु आवेदक के द्वारा माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उमरिया के न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड तलबी का आदेश जारी किया गया तथा मूलतः खसरा रिकार्ड रूम से मगाया गया बिना गुण दोष के आधार पर निर्णय न पारित कर xxxxxxxxx तकनीकी बिन्दु पर कर दिया गया

श्री चन्द्रदेव श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 1-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-2-18 नियत।
रीडर, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/785 संतू विरूद्ध लहुरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 2अ/स्व.निग.(947)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य